

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) कक्षा भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं मानी है ।
- (ii) भिन्नी के प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने से भिन्नी में निर्माण का कोई संस्कारवाचक नहीं होगा तथा न ही भिन्न विपरीत स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आपेक्षक निर्माण को सूचित करेंगे ।
- (iv) स्वीकृत नगरी के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वातंत्र्य शिष्टी केवल व्यक्तिगत राउप डिजाइन अनुसार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 664 दिनांक 07/08/2020

श्री अनदेश कुमार डा० श्री धनश्याम चड्ढी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

घारा 194 (1) (iv) के तहत आवश्यक

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6937/- प्रति

परिधि रसीद संख्या 7069/7532, 7533

दिनांक 07/08/2020 को जमा करा दी है ।

डुबान संख्या - 4-BS-47  
श्रीपासनी इन्फ्रिज बोर्ड

07/08/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

*(Handwritten Signature)*

अनदेश कुमार  
9414919737

व्यवसायिक  
राउप डिजाइन  
अनुसार